



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 97]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 2, 2010/फाल्गुन 11, 1931

No. 97]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 2, 2010/PHALGUNA 11, 1931

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2010

सा.का.नि. 169(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 2009 के नियम 12 के उप-नियम (2) के खंड (क) और खंड (ग) के अनुसरण में निम्नलिखित विनियम बनाती हैं, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सचिवालय सेवा सहायक ग्रेड (सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “उपलब्ध रिक्तियां” से सेवा की सहायक श्रेणी में ऐसी रिक्तियां अभिप्रेत हैं जिन्हें खुली प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों पर भरा जाना अपेक्षित है;

(ख) “परीक्षा” से सेवा के सहायक ग्रेड और ऐसी सेवाओं, विभागों या कार्यालयों में सहायकों के पद पर सीधी भर्ती के लिए आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा अभिप्रेत है जिसे समय-समय पर भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाए;

(ग) “अनुसूचित जाति” और “अनुसूचित जनजाति” के वही अर्थ हैं जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के क्रमशः खंड (24) और खंड (25) में समनुदेशित हैं।

(घ) “अन्य पिछड़ा वर्ग” से भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में अधिसूचित जातियां और समुदाय अभिप्रेत हैं;

(ङ) “निःशक्त व्यक्ति” से निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में यथा परिभाषित निःशक्त व्यक्ति अभिप्रेत हैं; और

(च) “आयोग” से कर्मचारी चयन आयोग अभिप्रेत है।

(2) वे सभी अन्य शब्द और पद जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं और यहां परिभाषित नहीं हैं किंतु केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 2009 में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उन नियमों में हैं।

3. परीक्षा कराना.—(1) आयोग द्वारा परीक्षा, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित रीति में संचालित की जाएंगी।

(2) वह तारीखें जब और वह स्थान जहां परीक्षा आयोजित की जाएगी, आयोग द्वारा नियत किए जाएंगे।

4. पात्रता की शर्तें—परीक्षा में सक्षमता की पात्रता के क्रम में अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तों का समाधान करना चाहिए, अर्थात् :—

(i) राष्ट्रीयता -

(क) उसे भारत का नागरिक होना चाहिए,

या

(ख) वह व्यक्तियों के ऐसे वर्गों से संबंधित होना चाहिए जो इस निमित्त भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित हो।

(ii) आयु—

उसने 20 वर्ष की आयु अवश्य प्राप्त कर ली हो और उस वर्ष जिसको परीक्षा आयोजित की गई है, के 1 अगस्त को 27 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो ;

परंतु ऐसे प्रवर्गों के व्यक्तियों की बाबत प्रत्येक प्रवर्ग के संबंध में अधिसूचित सीमा तक, ऊपरी आयु में छूट, इस निमित्त भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना द्वारा दी जा सकेगी।

(iii) शैक्षिक अर्हताएं—

(क) वह केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसमें अधीन स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय की डिग्री धारित करता हो या अन्यथा केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इसके समतुल्य अर्हता रखता हो।

(ख) वह आयोग द्वारा अनुमोदित या संचालित कंप्यूटर प्रचालन में प्रवीणता परीक्षा के लिए अर्हक हो।

परंतु—

(क) अपवादिक मामलों में, कोई अभ्यर्थी जो यद्यपि इस खंड में विनिर्दिष्ट अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं रखता है, उसे आयोग द्वारा अर्हक माना जाएगा यदि उसने किसी ऐसी संस्था द्वारा, जो आयोग की राय में परीक्षा में उसके प्रवेश को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त मानक के अनुरूप हो, संचालित ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण की है।

(ख) वे अभ्यर्थी जो अन्यथा अर्हक हैं किंतु विदेशी विश्वविद्यालयों से डिग्री ले चुके हैं, उनको भी आयोग के विवेक के अनुसार परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकेगा।

(iv) परीक्षा का प्रयास—

प्रत्येक अभ्यर्थी, परीक्षा के लिए तीन प्रयासों से अधिक नहीं करेगा, जब तक वह समय-समय पर भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, द्वारा अधिसूचित किन्हीं अपवादों के अंतर्गत न आता हो।

(v) फीस—

ऐसी छूटों या रियायतों या दोनों, जो इस निमित्त भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जा सके, के अध्वधीन, वह आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट फीस का संदाय करेगा।

5. पात्रता के बारे में विनिश्चय—पात्रता या अन्यथा परीक्षा में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी ऐसे अभ्यर्थी को जिसका प्रवेश-पत्र आयोग द्वारा नहीं जारी किया गया है, परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

6. परिणाम—(1) अभ्यर्थियों के नाम, जिन पर आयोग द्वारा परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त होने के लिए विचार किया जाता है, उन्हें योग्यता के क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा और विनियम 7 के उपविनियम (5) के उपबंधों के अध्वधीन उनकी उतनी नियुक्तियों के लिए सिफारिश की जाएगी जितनी की जानी अपेक्षित हों।

(2) व्यक्ति अभ्यर्थियों को परीक्षा के परिणामों की संसूचना का रूप और रीति का निर्णय आयोग के अपने विवेक पर होगा और परिणामों के संबंध में आयोग व्यक्ति अभ्यर्थियों से पत्र व्यवहार नहीं करेगा।

7. नियुक्ति—(1) परीक्षा में सफलता, सेवा के सहायक ग्रेड पर नियुक्ति के लिए कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगी। जब तक आयोग द्वारा अनुशंसित किया गया अभ्यर्थी ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम या आधार पाठ्यक्रम, जिसे केन्द्रीय सरकार विहित करे, को सफलता पूर्वक पूरा न कर ले।

(2) परीक्षा में सफलता सेवा में सहायक ग्रेड की नियुक्ति के लिए कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगी जब तक केन्द्रीय सरकार का, ऐसी जांच के पश्चात्, जो आवश्यक समझी जाए, समाधान हो जाता है कि अभ्यर्थी लोक सेवा में नियुक्ति के लिए अपने चरित्र और पूर्ववृत्त के संबंध में सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(3) किसी अभ्यर्थी को सेवा के सहायक ग्रेड में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह ऐसी चिकित्सीय जांच, जिसे केन्द्रीय सरकार विहित करे, के पश्चात् किसी मानसिक या शारीरिक त्रुटि से मुक्त पाया गया हो जिससे सेवा के कर्तव्यों के निर्वहन में व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना हो।

(4) कोई व्यक्ति, जिसका एक से अधिक जीवित पत्नी या पति है, या जिसने एक पत्नी या पति के जीवित रहते हुए किसी भी दशा में विवाह किया है जिसमें ऐसा विवाह ऐसे पत्नी या पति के जीवन काल के दौरान होने के कारण शून्य है, और कोई व्यक्ति जिसका विवाह उसकी पत्नी या पति के, ऐसे विवाह के समय पहले से ही जीवित पत्नी या पति के होने के कारण शून्य है, परीक्षा के परिणामों के आधार पर किसी नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु केन्द्रीय सरकार, यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं, किसी व्यक्ति को इस उपविनियम के प्रचालन से छूट दे सकेगी।

(5) उप विनियम (7) में यथाउपबंधित के सिवाय, किसी परीक्षा के परिणामों के आधार पर, सेवा के सहायक ग्रेड में नियुक्तियां अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में शक्तियों की उपलब्धता के आधार पर की जाएंगी।

(6) सेवा में नियुक्तियां, समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, निःशक्त व्यक्तियों के लिए सेवा में विशेष प्रतिनिधित्व के संबंध में आदेशों के अध्वधीन होगी।

(7) अभ्यर्थियों की अंतिम योग्यता की गणना, ऐसे आज्ञापक प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा विहित किया जाए, में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर

प्राप्त अंतिम रैंक और कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, क्रमशः 25 : 75 के अनुपात में, की जाएगी।

(8) कदाचार के लिए शास्ति—कोई अभ्यर्थी जो निम्नलिखित का दोषी आयोग द्वारा घोषित किया गया हो—

- (क) किन्हीं साधनों द्वारा अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन प्राप्त किया हो या ;
 - (ख) प्रतिरूपण, या
 - (ग) किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण उपाप्त करना, या
 - (घ) गढ़े दस्तावेज या वे दस्तावेज जिनके साथ छेड़-छाड़ की गई हो, प्रस्तुत करना, या
 - (ङ) वह कथन करना जो गलत और मिथ्या है या तात्विक जानकारी को छिपाना, या
 - (च) परीक्षा के लिए अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाना, या
 - (छ) परीक्षा हाल में अनुचित साधनों का उपयोग करना, या
 - (ज) परीक्षा हाल में कदाचार करना, या
 - (झ) पूर्वगामी उप-विनियमों में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं कृत्यों को करने का प्रयत्न करना या, यथास्थिति, करने का दुष्प्रेरण करना
- तो वह व्यक्ति दांडिक अभियोजन के लिए स्वयं दायी होने के अतिरिक्त निम्नलिखित के लिए भी दायी होगा—
- (क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से निरर्हित होगा जिसके लिए वह अभ्यर्थी है, या

(ख) (i) किसी परीक्षा से या आयोग द्वारा धारित चयन से उसके द्वारा ;

(ii) केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी नियोजन से उसके द्वारा,

स्थायी या विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विवर्जित होना ; और

(ग) यदि वह पहले ही केन्द्रीय सरकार के अधीन सेवा में है तो समुचित नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही के लिए।

परंतु -

(i) अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर देने, जैसा वह इस निमित्त करना चाहे के पश्चात् ; और

(ii) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि कोई हो, को उसे अनुज्ञात अवधि के भीतर विचार करने के पश्चात्,

के सिवाय इसके पश्चात् इस विनियम के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 2010

G.S.R. 169(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in pursuance of clauses (a) and (c) sub-rule (2) of rule 12 of the Central Secretariat Service Rules, 2009, the President hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement :- (1) These regulations may be called the Central Secretariat Service Assistants' Grade (Direct Recruit Competitive Examination) Regulations, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions:- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "available vacancies" means such vacancies in the Assistants' Grade of the Service as are required to be filled on the results of open competitive examination;

(b) "examination" means a competitive examination held by the Commission for direct recruitment to the Assistants' Grade of the Service and to posts of Assistants in such services, departments or offices, as may be notified from time to time by the Government of India in the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions;

(c) "Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes" shall have the same meanings as are assigned to them by clauses (24) and (25) respectively of Article 366 of the Constitution of India;

(d) "Other Backward Classes" means the castes and communities notified as Other Backward Classes by the Government of India;

(e) "Persons with Disabilities" means the persons with disabilities as defined in the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995; and

(f) "Commission" means the Staff Selection Commission.

(2) All other words and expressions used in these regulations and not defined herein but defined in the Central Secretariat Service Rules, 2009 shall have the meanings respectively assigned to them in those rules.

3. Holding of the examination.- (1) The examination shall be conducted by the Commission in the manner notified from time to time by the Government of India in the

Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.

(2) The dates on which and the places at which the examination shall be held shall be fixed by the Commission.

4. **Conditions of eligibility.**— In order to be eligible to compete at the examination, a candidate must satisfy the following conditions, namely:—

(i) *Nationality* —

(a) He must be a citizen of India,

OR

(b) He must belong to such categories of persons as may from time to time be notified in this behalf by the Government of India in the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.

(ii) *Age* -

He must have attained the age of 20 years, and must not have attained the age of 27 years on the 1st day of August of the year in which the examination is held:

Provided that the upper age limit may be relaxed in respect of such categories of persons as may, from time to time, be notified in this behalf by the Government of India in the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, to the extent notified in respect of each category.

(iii) *Educational qualifications* —

He must—

(A) hold a degree of a University established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act, or otherwise possess any qualification recognised by the Central Government as equivalent thereto; and

(B) qualify a proficiency test in computer operations approved or conducted by the Commission.

Provided that—

(a) in exceptional cases, a candidate who, though not possessing any of the qualifications specified in this clause, may be treated by the Commission as qualified if he has passed such examinations conducted by any institution as are, in the opinion of the Commission, of a standard sufficient to justify his admission to the examination; and

(b) candidates who are otherwise qualified but have taken degrees from Foreign Universities may also be admitted to the examination at the discretion of the Commission.

(iv) *Attempts at the examination* —

Every candidate shall have not more than three attempts at the examination unless covered by any of the exceptions notified by the Government of India in the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, from time to time.

(v) *Fees-*

Subject to such exemptions or concessions or both, as may be notified in this behalf by the Government of India in the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions from time to time, he shall pay the fees specified by the Commission.

5. **Decision as to eligibility.-** The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission shall be admitted to the examination.

6. **Results.-** (1) The names of the candidates who are considered by the Commission to be suitable for appointment on the results of the examination shall be arranged in the order of merit and subject to the provisions of sub-regulation (5) of Regulation 7, they shall be recommended for appointment up to the number of appointments required to be made.

(2) The form and manner of communication of the results of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion, and the Commission shall not enter into any correspondence with the individual candidates regarding the results.

7. **Appointments.-** (1) Success at the examination shall confer no right to appointment to the Assistants' Grade of the Service unless the candidate recommended by the Commission successfully completes such of the Training Programme or Foundation Course as the Central Government may prescribe.

(2) Success at the examination shall confer no right to appointment to the Assistants' Grade of the Service unless the Central Government is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate having regard to his character and antecedents is suitable in all respects for appointment to public service.

(3) No candidate shall be appointed to the Assistants' Grade of the Service unless he is, after such Medical examination as the Central Government may prescribe, found to be free from any mental or physical defect which is likely to interfere with the discharge of the duties of the Service.

(4) No person who has more than one spouse living or who, having a spouse living, marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life time of such spouse, and no person whose marriage is void by reason of his or her spouse having already a spouse living at the time of such marriage shall be eligible for any appointment on the results of the examination:

Provided that Central Government may, if satisfied that there are special grounds for so doing, exempt any person from the operation of this sub-regulation.

(5) Save as provided in sub-regulation (7), appointments to the Assistants' Grade of the Service on the results of any examination shall be made to the extent of the available vacancies, in the order of the merit of the candidates.

(6) Appointments to the Service shall be subject to orders regarding special representation in the service for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Persons with Disabilities issued by the Central Government from time to time.

(7) The final merit of the candidates shall be reckoned on the basis of final ranking obtained on the basis of the marks obtained by the candidate in such of the mandatory training programme as may be prescribed by the Department of Personnel and Training and the marks obtained in the examination conducted by the Staff Selection Commission in the ratio of 25:75 respectively.

8. Penalty for misconduct.- A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of -

- (a) obtaining support for his candidature by any means, or
- (b) impersonating, or
- (c) procuring impersonation by any person, or
- (d) submitting fabricated documents or documents which have been tempered with, or
- (e) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or
- (f) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or
- (g) using unfair means in the examination hall, or
- (h) misbehaving in the examination hall, or
- (i) attempting to commit, or as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the foregoing sub-regulations,

shall in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable -

- (A) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate, or
- (B) to be debarred either permanently or for a specified period
 - (i) by the Commission from any examination or selection held by them;
 - (ii) by the Central Government from any employment under them; and

Provided that no penalty under this regulation shall be imposed except after -

- (i) giving the candidate a reasonable opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf, and
- (ii) taking the representation, if any submitted by the candidate, within a period allowed to him, into consideration.

[F.No. 1/3/2009-CS-I(P)]
C. B. PALIWAL Jt. Secy.

824 GI/10-3